

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवधर/रॉची/हजारीबाग
मुख्य अभियंता (य००)/अग्रिम योजना, जल संसाधन विभाग
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन
पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखण्ड।

रॉची, दिनांक : १२-३-१३

विषय :— वित्तीय वर्ष २०१२-१३ के मांग संख्या— ४९ जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष—२७०१— मध्यम सिंचाई उप मुख्य शीर्ष—०३—मध्यम सिंचाई—वाणिज्यिक, लघु शीर्ष—००१ निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष—०७—मध्यम सिंचाई परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में बजट मुख्य शीर्ष २७०१— मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिषिष्ट—१ में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :—

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या ४९ जल संसाधन विभाग/२७०१—मध्यम सिंचाई	०३ मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	००१—निदेशन तथा प्रशासन / ०७—मध्यम सिंचाई परियोजना	-92.885
कुल अतिरिक्त आवंटित राशि — ऋणात्मक			रुपये बेरानबे लाख अठासी हजार पाँच सौ मात्र	

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष २०१२-१३ के बजट उपबंध ₹ 8890.52 लाख एवं प्रथम अनुपूरक (वित्त विभाग का पत्रांक ११/बी० टी० ई०- ०४/२०१२/३१०/बजट दिनांक १७.०९.१२) से प्राप्त राशि ₹ ५६.३४ लाख सहित कुल ₹ ८९४६.८६ लाख (नवासी करोड़ छियालीस लाख छियासी हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.९८ एवं १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्यय एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक १५.११.२००० के पूर्व का वेतनादि या अन्य दायित्व का भुगतान बिना विभागीय अनुमति के नहीं किया जाय।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

JKS
(सुरेश प्रसाद भगत)
सहा. अभि.

G
(जयप्रकाश भट्टाचार्य)
उप सचिव (अभि.)

JKS
(एस० के० सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

MS
(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य के साथ अधियाचना प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
9. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन एवं भत्ता को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरत प्रत्यर्पण कर दें।
10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा।
11. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
12. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 25 मार्च 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

222

रॉची, दिनांक :- 12-3-13

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/देवघर/दुमका/गुमला/चाईवासा/सिमडेगा/साहेबगंज/जामताड़ा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

222

रॉची, दिनांक :- 12-3-13

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(सुरेश प्रसाद भगत)

सहा. अभि.

(जयप्रकाश भट्टाचार्य)

उप सचिव (अभि.)

(एस. के. सिंह)

संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)

विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)

प्रधान सचिव

मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक
लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-07-मध्यम सिंचाई परियोजना

मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

वित्तीय वर्ष 2012-2013

विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं अर्थे

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	वेतन	जायजन योग्यता	गोग	15.11.2000 के लालौरियाई पूर्व का बकाया वेतनादि	विस्तृत शीर्ष-02-प्रासादिक व्यय	दरारू यात्रा व्यय	कार्यालय क्रमांक	किरायादारें, सामग्री कार	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष वर्त्ती	विद्युत व्यय	विस्तृत शीर्ष-03-प्रासादिक व्यय	विस्तृत शीर्ष-04-प्रासादिक व्यय	विस्तृत शीर्ष-05-प्रासादिक व्यय	विस्तृत शीर्ष-06-प्रासादिक व्यय	विस्तृत शीर्ष-07-प्रासादिक व्यय	कुल योग	अधिकृत	राशि लाख रुपये में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	मुख्य अधिकारी	पूर्व का आवंटन 51.350	30.300	81.650	0.060	0.000	1.410	1.300	0.000	0.500	0.030	0.500	1.250	0.050	86.750	86.750	7.346	94.096		
1	जलसंसाधन विभाग, राँची	अतिरिक्त आवंटन 4,000	3,000	7,000	0.000	0.000	0.346	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.250	0.050	94.096	94.096	0.000	94.096		
2	अधिकारी योजना अंचल दुमका	पूर्व का आवंटन 11.000	6,000	17.000	0.000	0.000	0.250	0.600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	18.350	18.350	0.600	18.350		
3	अधिकारी योजना अंचल राँची	पूर्व का आवंटन 0.600	0.000	0.600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	0.000	0.000	18.950		
3	अधिकारी योजना अंचल राँची	पूर्व का आवंटन 11,600	6,000	17,600	0.000	0.000	0.250	0.600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	1.000	0.000	0.000	20.450		
4	जलपाल अंचल, गुमला	पूर्व का आवंटन 0.300	0.000	0.300	0.000	0.000	0.250	0.600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.340		
4	जलपाल अंचल, गुमला	पूर्व का आवंटन 11,300	7,000	18,000	0.000	0.000	0.100	2,373	0.600	0.000	0.000	0.000	0.140	0.000	0.000	0.000	0.000	20.790		
5	रूपाकाण आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, राँची	पूर्व का आवंटन 0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	120.553		
5	रूपाकाण आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, राँची	पूर्व का आवंटन 73,000	43,000	116,000	0.000	0.100	2,373	0.600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	0.000	0.000	0.150		
6	सिंचाई अंचल, जसीडीह	पूर्व का आवंटन 40,000	-32,940	72,940	0.000	0.000	0.250	0.600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.230	0.300	0.800	0.000	0.000	120.703		
6	सिंचाई अंचल, जसीडीह	पूर्व का आवंटन 35,000	12,060	47,060	0.000	0.000	0.251	0.600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.400	0.275	0.500	0.000	0.000	145.675		
7	सिंचाई अंचल, जामताडा	पूर्व का आवंटन 47,000	35,420	82,420	0.000	0.000	1,075	0.600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	0.000	0.000	121.651		
7	सिंचाई अंचल, जामताडा	पूर्व का आवंटन 47,000	35,420	82,420	0.000	0.000	0.201	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.275	0.500	0.900	0.000	0.000	145.475		
8	जलपाल प्रमंडल सं.-1, चक्रधरपुर	पूर्व का आवंटन -10,000	-10,000	0.000	0.000	0.000	0.251	0.600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.150	0.000	0.000	0.000	85.370		
8	जलपाल प्रमंडल सं.-1, चक्रधरपुर	पूर्व का आवंटन 70,000	45,330	115,330	0.000	0.000	1,419	0.500	1,020	0.000	0.050	0.050	0.575	0.500	0.000	0.000	0.000	85.370		
9	जलपाल प्रमंडल सं.-1, सिमडेगा	पूर्व का आवंटन 7,100	4,010	11,110	0.000	0.000	0.201	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	134.784		
9	जलपाल प्रमंडल सं.-1, सिमडेगा	पूर्व का आवंटन 127,100	76,010	203,110	0.000	0.000	0.100	2,062	0.500	0.000	0.000	0.000	0.050	0.150	0.100	0.000	0.000	196.592		
10	पुनर्वास पदाधिकारी, देवधर	पूर्व का आवंटन 3,100	0.000	3,100	0.000	0.000	0.350	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.125	0.000	0.000	0.000	0.000	11.110		
10	पुनर्वास पदाधिकारी, देवधर	पूर्व का आवंटन 56,100	25,730	81,830	0.100	0.350	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	207.702		
																		79.990		
																		3.100		
																		83.090		

मालारक अधिकारी
(सुरेश प्रसाद भगत)
मालारक अधिकारी
(सुरेश प्रसाद भगत)

जयप्रकाश पांड्याय
(जयप्रकाश पांड्याय)

मालारक अधिकारी
(जयप्रकाश पांड्याय)

मालारक अधिकारी
(जयप्रकाश पांड्याय)

मालारक अधिकारी
(जयप्रकाश पांड्याय)

मालारक अधिकारी
(जयप्रकाश पांड्याय)

(एस0 के0 शापथी)
प्रधान सचिव
विशेष सचिव

(बी. सी. निमाम)
विशेष सचिव

(म

